



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222841
CG-DL-E-30102020-222841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3433]
No. 3433]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3887(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना सं. का.आ. 2004(अ), तारीख 30 अगस्त, 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश में कि०मी० 385.000 से 420.000 (बढ़नी कटायी चौक) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 730 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 730 डिजाइन कि.मी. 384.874 से 420.450 (वर्तमान कि.मी. 385.000 से 420.000) (बढ़नी कटायी चौक सेक्शन) तक के खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कालम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 35.336 कि.मी. की दो लेन/पेव्ड शोल्डर सहित निवल सड़क खण्ड लम्बाई के लिए तालिका 1 के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के लिए 60% की दर पर यांत्रिक वाहन से फ्रीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फ्रीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन के प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति कि.मी. आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक माल वाहन, वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय (एमएवी) (4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेह होगी, अर्थात:-

तालिका -2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
राष्ट्रीय राजमार्ग – 730 पर सिद्धार्थनगर जिले में गोलहौरा गाँव, पो०-शोहरतगढ़, पी०एस० शोहरतगढ़ के निकट डिजाइन कि०मी० 407.750	35.336	2 लेन/पेड शोल्डर सहित 2-लेन के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/-रुपए (दो सौ पच्चाहत्तर रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

3. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-3		
संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा होगा उसके चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खंड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक की ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनो की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनो की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी।

7. उक्त नियमों के नियम - 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।

8. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007 -08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनो से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और नियमों के नियम-5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रु 209.10 करोड़ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वसूल किये गये प्रयोक्ता शुल्क के जरिये पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जायेगा और पूंजीगत लागत की वसूली के बाद लगाये जाने वाले शुल्क की दरों को 40 प्रतिशत कर दिये जायेगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा।

[फा. सं. NH-12014/27/2016/UP/NH-II]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

S.O. 3887(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2004 (E) the 30th August, 2012, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 385.000 to 420.000 (Barhani Kataya Chowk Section) of National Highway No.730 in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% Percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 35.336 km for the use of two lane with paved shoulder section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Barhani Kataya Chowk Section from design km 384.874 to design km 420.450 (existing km 385.000 to km 420.000) on National Highway no. 730 in the State of Uttar Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India (NHAI) to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1	
Types of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:

Table -2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
At Design Chainage 407.750 on NH-730 near village Golhaura, PO-Shohratgarh, PS-Shohratgarh, District Sidharthnagar of State of Uttar Pradesh	35.336	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the Fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely,

Table-3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours the time of payment
Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rs. 209.10 crore. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost; the fees leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NH-12014/27/2016/UP/NH-II]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.